
रूप-पत्र 24

(उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 12-क का उपनियम (13) देखिये)

ऐसे रजिस्टर्ड व्यापारियों द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर जो व्यापार कर अधिकारी से सादे रूप-पत्र 3-क प्राप्त करते हों और उन्हें विक्रेता व्यापारी को ऐसा माल, जो उपभोक्ता को बिक्री स्थल पर कर-योग्य हो, क्रय करते समय दें।

प्राप्त रूप-पत्रों का विवरण

| दिनांक | प्राप्त रूप-पत्रों की कुल संख्या | क्रमसंख्या से तक | दिनांक | व्यापारी का नाम और पता जिसे जारी किया गया |
|--------|-------------------------------------|------------------------------|--------|--|
| 1 | 2 | 3-क 3-ख | 4 | 5 |

| जारी किये गये रूप-पत्रों की संख्या | बिल/कैश मैमो संख्या और दिनांक | परिणाम | जारी किये गये रूप-पत्रों का विवरण |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 6 | 7 | 8 | धनराशि अभ्युक्ति |
| | | | 9 10 |
